उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या : 405/8–3–17–65 विविध/16 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 04 मई, 2017

विज्ञप्ति

विषयः– उ0प्र0 भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर नियुक्ति।

भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण नाम से एक निकाय का गठन किया गया है। उ0प्र0 भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं तीन सदस्य होंगे। उ0प्र0 भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि, सेवा शर्तें, शक्तियां एवं कार्य तथा पद से हटाया जाना आदि भू–संपदा विनियमन एवं विकास अधिनियम–2016 के अध्याय–5 एवं उ0प्र0 भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली–2016 के अध्याय–6 में वर्णित है।

2– भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 में प्राविधान है कि भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष वही व्यक्ति होंगे जो अर्बन डेवलपमेन्ट, हाउसिंग, रियल इस्टेट डेवलपमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक्स, संबंधित क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञ, प्लानिंग, लॉ, कॉमर्स, एकाउण्टेंसी, इण्डस्ट्री, मैनेजमेन्ट, सोशल सर्विस, पब्लिक अफेयर्स अथवा एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम 20 वर्ष का पर्याप्त ज्ञान एवं व्यवसायिक अनुभव रखते हों, किन्तु सेवारत् होने की स्थिति में भारत सरकार में अपर सचिव अथवा राज्य सरकार में समकक्ष पद धारित करते हों या रहे हों। इसी प्रकार प्राधिकरण के सदस्य वही व्यक्ति होंगे जो अर्बन डेवलपमेन्ट, हाउसिंग, रियल इस्टेट डेवलपमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक्स, संबंधित क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञ, प्लानिंग, लॉ, कॉमर्स, एकाउण्टेंसी, इण्डस्ट्री, मैनेजमेन्ट, सोशल सर्विस, पब्लिक अफेयर्स अथवा एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम 15 वर्ष का पर्याप्त ज्ञान एवं व्यवसायिक अनुभव रखते हों, किन्तु सेवारत् होने की स्थिति में राज्य सरकार में सचिव अथवा राज्य सरकार व भारत सरकार में समकक्ष पद धारित करते हों या रहे हों।

3– उ0प्र0 भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष व सदस्य उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, 05 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो, पद धारण करेगा। अधिनियम की धारा–26 के अधीन रहते हुए अध्यक्ष को वेतन राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान तथा अन्य भत्ते उ0प्र0 भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली–2016 के नियम–18 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार देय होंगे। इसी प्रकार प्राधिकरण के सदस्य को वेतन एवं भत्ते राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के सामान देय होंगे।

4– उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति संख्या–1459(1)/8–3–16–65विविध/16 दिनांक 28 अक्टूबर 2016 द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 05.11.2016 तक मांगे गये थे, जिसके क्रम में प्राप्त आवेदन पत्रों पर अपेक्षित कार्यवाही कतिपय कारणों से पूर्ण न हो पाने के कारण सम्यक विचारोपरान्त उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मई 2017 को सांय 5.00 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तद्क्रम में अपेक्षित योग्यता पूर्ण करने वाले इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप–1 में भर कर निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ–226001 को उनकी वेबसाइट **www.awasbandhu.in की साइट RERA आवेदन के पोर्टल पर दिनांक 31 मई 2017 तक online** भेज सकते हैं। दिनांक 31 मई 2017 को सांय 05.00 बजे के बाद प्राप्त होने वाले कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। राज्य या केन्द्र सरकार या अन्य किसी संगठन के अन्तर्गत सेवारत् व्यक्ति अपना आवेदन समुचित माध्यम से उक्त तिथि तक भेज सकते हैं। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। **ऐसे आवेदक जिन्होंने विज्ञप्ति दिनांक 05.11.2016 के क्रम में आवेदन पत्र पूर्व में प्रेषित किये गये हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।**

5– आवेदन–पत्र के साथ व्यक्ति को स्वःप्रमाणित घोषणा पत्र संलग्नक–2 देना अनिवार्य है कि वे जो भी सूचनाएं एवं प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर रहे हैं, वह सत्य हैं। इस संबंध में विस्तृत विवरण भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 के अध्याय–5 तथा उ0प्र0 भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली–2016 के अध्याय–6 में देखा जा सकता है। उक्त नियमावली आवास बन्धु की उपर्युक्त वर्णित वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संलग्नक– विवरण प्रपत्र/स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का प्रारूप।

(महेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव

SO-advertisement-RERA

<u>संलग्नक–1</u>

उ0प्र0 भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर विचारार्थ भेजे जाने वाले विवरण संबंधी आवेदन प्रपत्र।

नवीनतम **पासपोर्ट आकार** **का अभिप्रमाणित** **फोटो**

1– नाम

2– जन्मतिथि

3– वर्तमान पता

4– सम्पर्क संख्या

क– दूरभाष एसटीडी कोड सहित

ख– मोबाइल

ग– फैक्स

5– ई–मेल पता

6– शैक्षिक अर्हताएं

7– विशेषज्ञता क्षेत्र

8– वर्तमान व्यवसाय / नौकरी

9– उपलब्धियां

10– कार्य अनुभव संक्षेप में

11– प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज होने अथवा न होने संबंधी सूचना

12– अधिनियम की धारा–23(2) के प्राविधानों से आच्छादित नहीं होने के संबंध में सूचना

<u>घोषणा</u>

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूं कि उपरोक्त लिखित शैक्षिक एवं अन्य अर्हता सम्बन्धी सूचनायें मेरी जानकारी में पूर्ण एवं सत्य हैं। यदि कोई दी गई सूचना सही नहीं पायी जाती है तो अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा।

दिनांक: हस्ताक्षर
स्थान : नाम

SO-advertisement-RERA

04.05.17

<u>संलग्नक–2</u>

स्व–प्रमाणित घोषण पत्र

मैं..पुत्र / पुत्री / पत्नी / श्री / श्रीमती......................................

....उम्र.................वर्ष.........................व्यवसाय..

निवासी...प्रमाणित करते हुए घोषणा करता / करती हूं कि आवेदन पत्र में दिये गये विवरण / तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में शुद्ध एवं सत्य हैं। मैने उसमें कुछ भी छुपाया नहीं है। मैं मिथ्या विवरणों / तथ्यों को देने के परिणामों से भली–भांति अवगत हूं। यदि आवेदन पत्र में दिये गये कोई विवरण / तथ्य मिथ्या पाये जाते हैं तो मैं, मेरे विरूद्ध भा0द0वि0, 1960 की धारा–199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अन्तर्गत अभियोजन एवं दण्ड के लिए, स्वयं उत्तरदायी होंउंगा / होउंगी।

मैं यह भी घोषणा करता / करती हूं कि यदि मेरे द्वारा की गयी, दस्तावेजों का स्व–प्रमाणीकरण या घोषणा गलत पायी जाती है या मेरे द्वारा गलत दस्तावेजों का स्व–प्रमाणीकरण किया जाता / गया है, तो मेरे द्वारा प्राप्त की गयी सभी प्रकार की सुविधाएं तत्काल वापस ले ली जाए।

स्थान................................. आवेदक / आवेदिका के हस्ताक्षर.............................

दिनांक............................. आवेदक / आवेदिका का नाम..................................

SO-advertisement-RERA

04.05.17